FTS-107/2013

राजकीय प्रयोजनार्थ

न्यायालय अति0जिला कलेक्टर,टोंक

(परशुराम धानका,आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 13/2013
प्रविष्टि दिनांक 30.01.2013

सरकार जरिए तहसीलदार मालपुरा जिला टोंक

–प्रार्थी

बनाम

छोटू खां पन्ना खां पि0 शमशेर खां जाति बंजारा नि. लक्ष्मीपुरा पीनणी तह. मालपुरा

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित–
1. राजकीय पेरोकार श्री रामप्रसाद कुमावत व श्री मजहर आलम एड0
2. अप्रार्थी अनु.।

अभिशंषा दिनांक 27–9–2022

यह प्रार्थना पत्र तहसीलदार मालपुरा द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के तहत प्रस्तुत किया है। संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार हैं कि खसरा नम्बर 402 रकबा 240.03 किस्म गैर मुमकिन नदी वाके ग्राम श्योपुर तह0 मालपुरा राज्य सरकार के नाम भू प्रबन्ध के रिकॉर्ड/जमाबन्दी सम्वत् 2010 में गैर मुमकिन नदी दर्ज थी। उक्त भूमि में से 5 बीघा अवैधानिक रूप से आवंटन आदेश दिनांक 17.06.1977 के द्वारा श्री हरिनारायण पुत्र रूगा जाति गुर्जर निवासी सदरपुरा को जरिये नामान्तकरण सं. 171 से गैर खातेदारी आवंटित की गई। आवटिंत भूमि की खोतदारी अधिकार जरिये नामान्तकरण सं. 271 दिनांक 27.06.1987 से प्रदान किये गये। श्री हरिनारायण पुत्र रूधा जाति गुर्जर निवासी सदरपुरा द्वारा उक्त भूमि खसरा नम्बर 402/16 रकबा 5 बीघा को श्री छोटू, पन्ना पुत्र समसेर जाति मुसलमान निवासी लक्ष्मीपुरातन पीनणी के नाम नामा. सं. 273 से जरिये विक्रय [redacted]नान्तरण कर दी गई। नामा. सं. 505 से पन्ना खां का 1/2 हिस्सा बी.ओ.बी. मालपुरा के रहन दर्ज हुआ। उक्त भूमि राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 16 में वर्णित है जो आवंटन योग्य नहीं हैं। तहसीलदार मालपुरा द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त आवंटन की गई भूमि का आवंटन एवं नामान्तकरण सं. 171, 271, 273 व 505 को निरस्त कराने हेतु राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में रेफरेन्स अभिशंषा के साथ भिजवाने हेतु निवेदन किया हैं.।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी जरिए नोटिस विपक्षी की गई। अप्रार्थी को रजिस्टर्ड नोटिस भी जारी किया गया परन्तु अप्रार्थी अनुपस्थित रहे। अतः प्रकरण में राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

सत्य प्रतिलिपि
आज्ञा से

न्यायालय अति0 जिला कलेक्टर
टोंक (राज0)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया एंव निवेदन किया कि खसरा नम्बर 402 रकबा 240.03 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन नदी वाके ग्राम श्योपुर तह0 मालपुरा राज्य सरकार के नाम भू प्रबन्ध के रिकॉर्ड/जमाबन्दी सम्वत् 2010 में गैर मुमकिन नदी दर्ज थी। उक्त भूमि में से 5 बीघा अवैधानिक रूप से आवंटन आदेश दिनांक 17.06.1977 के द्वारा श्री हरिनारायण पुत्र रूगा जाति गुर्जर निवासी सदरपुरा को जरिये नामान्तकरण सं. 171 से गैर खातेदारी आवंटित की गई। आवटिंत भूमि के खोतदारी अधिकार जरिये नामान्तकरण सं. 271 दिनांक 27.06.1987 से प्रदान किये गये। श्री हरिनारायण पुत्र रूधा जाति गुर्जर निवासी सदरपुरा ने उक्त भूमि खसरा नम्बर 402/16 रकबा 5 बीघा को श्री छोटू, पन्ना पुत्र समसेर जाति मुसलमान निवासी लक्ष्मीपुरातन पीनणी के नाम नामा. सं. 273 से जरिये विक्रय पत्र स्थानान्तरण कर दी गई। नामा. सं. 505 से पन्ना खां का 1/2 हिस्सा बी. ओ.बी. मालपुरा के रहन दर्ज हुआ। जबकि उक्त भूमि राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 16 में वर्णित है जो आवंटन योग्य नहीं हैं। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के डी0बी0सिविल याचिका संख्या 1536/2003 उनवानी अब्दुल रहमान बनाम सरकार में दिये गये निर्णय दिनांक 02.08.2004 की पालना में विपक्षीगण के पक्ष में किया गया आवण्टन दिनांक 17.06.1977 एवं भरे गये गैर खातेदारी का नामान्तारकरण सं0 171 एंव खातेदारी का नामान्तरकरण सं0 271 दिनांक 27.06.1987 तथा नामा. सं. 273 व 505 निरस्त कराने हैतु रेफरेन्स प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को प्रेषित किया जावे।

हमने राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी एंव बहस पर मनन किया एंव पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों नकल जमाबन्दी 2066–69, नकल नामान्तकरण सं. 171, 271, 273 व खतौनी बन्दोबस्त 2010 व आवंटन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। नकल भू प्रबन्ध खतोनी बन्दोबस्त जमाबंदी सम्वत 2010 में खसरा नम्बर 402 गैर मुमकिन नदी भूमि दर्ज थी। भू आवण्टन सलाहकार समिति के द्वारा दिनांक 17.06.1977 को खसरा नम्बर 402 रकबा 240.03में से 5 बीघा भूमि श्री हरिनारायण पुत्र रूगा जाति गुर्जर निवासी सदरपुरा के नाम आवण्टन किया गया। आवण्टन आदेश की अनुपालना में घासी पुत्र भूरा जाति माली निवासी अम्बापुरा को नामा0 सं0 171 के द्वारा गैर खातेदारी एंव नामा0 संख्या 271 दि0 27.06.1987 को खातेदारी अधिकार दे दिये गये।

चूँकि उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड नकल भू प्रबन्ध खतोनी बन्दोबस्त जमाबंदी सम्वत 2010 में खसरा नम्बर 402 रकबा 240.03 गैर मुमकिन नदी भूमि दर्ज थी। श्री हरिनारायण पुत्र रूगा जाति गुर्जर निवासी सदरपुरा ने इस भूमि को भू आवण्टन सलाहकार समिति की राय से अपने पक्ष में आवण्टित करा कर पहले गैर खातेदारी और बाद मे खातेदारी अधिकार प्राप्त किये गये है। तत्पश्चात भूमि को छोटू, पन्ना पुत्र समसेर जाति मुसलमान निवासी लक्ष्मीपुरातन पीनणी के नाम नामा. सं. 273 से जरिये विक्रय पत्र स्थानान्तरण कर दी गई। नामा. सं. 505 से पन्ना खां का 1/2 हिस्सा बी.ओ.बी. मालपुरा के रहन दर्ज हुआ। राज0 टिनेन्सी एक्ट की धारा 16 के तहत ऐसी भूमियों का आवण्टन प्रतिबन्धित हैं। इससे स्पष्ट है कि दि017.06.1977 को भूमि श्री हरिनारायण पुत्र रूगा जाति गुर्जर निवासी सदरपुरा के पक्ष में आवण्टित किया जाना राज0 टिनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 16 के प्रावधानों के प्रतिकूल है। तहसीलदार मालपुरा का यह प्रकरण माननीय राज0 उच्च न्यायालय की डी0बी0 सिविल जनहित याचिका

सत्य प्रतिलिपि

न्यायालय अति0 जिला कलेक्टर
टोंक राज0।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

सं0 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में दिये गये निर्णय दिनांक 2–8–2004 की पालना में प्रस्तुत किया है जो स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता हैं।

फलतः माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को रेफरेन्स प्रकरण इस निवेदन के साथ प्रेषित है कि हरिनारायण पुत्र रूगा जाति गुर्जर निवासी सदरपुरा तहसील मालपुरा जिला–टोंक को दिनांक 17.06.1977 को खसरा नम्बर 402 रकबा 5 बीघा भूमि का आवंटन तथा आवण्टन आदेश की पालना मे श्री हरिनारायण पुत्र रूगा जाति गुर्जर निवासी सदरपुरा के नाम स्वीकार किया गया गैर खातेदारी का नामान्तकरण सं0 171 एंव खातेदारी का नामान्तकरण सं0 271 दिनांक 27.06.1987 तथा भूमि के विक्रय करने पर खोले गये नामा. सं. 273 व 505 को निरस्त कर आराजी खसरा नम्बर 402 रकबा 5 बीघा भूमि वाके ग्राम श्योपुर तहसील मालपुरा जिला–टोंक को पुनः गैर मुमकिन नदी सिवायचक राजकीय भूमि दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करें।

निर्णय आज दिनांक 27–9–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

सत्य प्रतिलिपि
आज्ञा से

([illegible])
अति.जिला कलेक्टर,टोंक

न्यायालय अति0 जिला कलेक्टर
टोंक (राज0)